

DETAILS OF NODAL AGENCY DESIGNATED FOR DEVELOPMENT

***42. SH. RAKESH DAULTABAD, MLA:** Will the Chief Minister be pleased to state:

- a) the nodal agency designated by the Government for undertaking integrated infrastructure development along sectoral plan roads, either for the entire development plan or for a group of sectors, same is stated in 7.2 of Policy for Grant and Utilization of TDRs notified as per Memo no. Misc-454/2021/28849 dated 16.11.2021; if not, the time by which the above said agency is likely to be designated;
- b) the details of priority list of projects prepared by a Committee constituted under the Chairmanship of Director, Town & Country Planning, Haryana together with the details of total number of projects in district Gurugram that have been submitted to the Government for approval alongwith the details of total number of approved project with the license number, name and other details of colonizers/ developers; and
- c) the details of TDR and PDR Certificates issued by Government till to date in State together with the details thereof?

REPLY-

Manohar Lal, Chief Minister

Sir,

A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT- (Starred Question no. 42 Monsoon Sessions, 2022)

- a) Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA) has been designated as nodal agency to undertake integrated infrastructure development along sectoral plan roads in Gurugram. Designating nodal agency in other town shall be taken up based on the experience gained from Gurugram. No time limit is fixed for the same, as yet.
- b) The first priority list of the projects adopted under TDR Policy dated 16.11.2021 will be the areas under sector roads/ green belt and 24 mtr roads of Final Development Plan GMUC -2031AD that are yet to be acquired and not yet licensed. Further, Sector 65 GMUC has been taken up by GMDA for implementation on pilot basis.

Grant of license is not involved in the process of issuance of TDR certificate, therefore, the detailed of license no. and name of colonizer etc are not relevant for this purpose.

- c) Only one TDR certificate has been issued under the policy dated 16.11.2021 till date, the details of which is as follows:

File no.	TDR No. & date	Developer name	Area (in acres)	Sector no.	Development plan
LC-1257-D	01 of 2022 dated 07.04.2022	Manglam Multiplex Pvt Ltd	13.73616	95	GMUC

Further, no PDR certificate has been granted to any colonizer in respect of any licensed colony in the State.

* 42 श्री राकेश दोलताबाद, विधायक:— क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे:—

प्रश्न:— (क) — क्या सरकार द्वारा मेमो नं० Misc-454/2021/28849 दिनांक 16.11.2021 द्वारा नोटिफाईड टी.डी.आर. पॉलिसी के धारा 7.2 के तहत सेक्टर प्लान सड़को अथवा सैक्टरों के समूहों के एकीकृत ढांचागत विकास हेतु कोई नोडल एजेंसी नामित की गई हैं, यदि नहीं, तो कृपया उस नोडल एजेंसी को नामित करने की समय सीमा क्या है।

प्रश्न:— (ख) — निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा चिन्हित प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता सूची तथा गुरुग्राम से संबंधित कुल प्रोजेक्ट्स, जो सरकार के अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं, का विवरण दें। कुल अनुमोदित प्रोजेक्ट्स, लाइसेंस नं०, कालोनाइजर/डेवलेपर के नाम का भी साथ विवरण दें।

प्रश्न:— (ग) — सरकार द्वारा राज्य में जारी किए गए कुल टी.डी.आर. एवं पी.डी.आर. प्रमाण पत्रों का विस्तृत ब्यौरा।

उत्तर —

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

सर,

उत्तर विधानसभा के पटल पर रखा गया है।

उत्तर – * 42 श्री राकेश दोलताबाद, विधायक

(क) गुरुग्राम में सैक्टर सड़कों के ढांचागत एकीकृत विकास हेतु गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। अन्य भाहरों के ढांचागत विकास के लिए नोडल एजेंसी की नियुक्ति गुरुग्राम से प्राप्त अनुभवों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

(ख) टी.डी.आर. पालिसी, 2021 के अंतर्गत चिन्हित प्रोजेक्ट्स की प्रथम प्रथामिकता सूची में गुरुग्राम के अंतिम विकास योजना, 2031 के अंतर्गत आने वाली सैक्टर रोड़/ ग्रीन बेल्ट व 24 मीटर सड़कें, जिनका अधिग्रहण किया जाना है तथा जोकि लाइसेंस भूमि का भाग नहीं है, को किया शामिल है।

सैक्टर – 65, गुरुग्राम में पड़ने आने वाली सड़कों को जी.एम.डी.ए. द्वारा पाइलेट प्रोजेक्ट पर विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है। इस प्रक्रिया में न तो कालोनाइजर, न ही लाइसेंस देने की प्रक्रिया शामिल है, इसलिए लाइसेंस नं0 व कालोनाइजर्स का नाम व प्रोजेक्ट संबंधित विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है।

(ग) टी.डी.आर. पालिसी, 2021 के अंतर्गत केवल एक टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

फाईल नं	टी.डी.आर. सर्टिफिकेट नं0 व तारीख	कालोनाइजर का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सैक्टर नं0	विकास योजना
1257-डी	01/2022 दिनांक 07.04.2022	मंगलम मल्टिपलैक्स प्राईवेट लिमिटेड	13.736	15	गुरुग्राम – मानेसर अर्बन काम्पलैक्स

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा कोई भी पी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है।